

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री सतेन्द्र कुमार पिता श्री हुसैनी महतो निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा;, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 01 और 36 के अधीन प्लॉट सं. 242, 283 और 195; कुल रकबा - 02.00 एकड़ (रैयती) भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/ndsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/ndsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को ढाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 01 और 36 के अधीन प्लॉट सं. 242, 283 और 195; कुल रकबा - 02.00 एकड़ (रैयती), जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया है, के तहत श्री सतेन्द्र कुमार पिता श्री हुसैनी महतो निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा;, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।